

20/12/19



पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.।  
मध्याह्नक न्यायालय ने अपीलार के कदीमी  
काद्य काद्य की में नली भा रही  
कृपे भूमि के खसरा नंबर 10 2000।

दिनांक  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जायपुर -

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की तारीख  
हुकम में जारी

26.11 बीघा कृषि भूमि पर निरन्तर कृषि  
कार्य में होना मानते हुए निम्न की  
परिभाषा में माना जाता है तथा खसरा  
संख्या 13 रकबा 50.00 बीघा जिन पर  
भी कृषि कार्य होता है, हुए श्री गणेशदास  
जामवाल ने जारी किए गए राजकीय परिपत्र  
में उल्लेखित शर्तों का सही रूप से  
विचार नहीं किया है। राज्य सरकार ने  
by Land Rev. allotment of land for  
Age purpose Rules 1970 के नियम 20 के  
तहत अनाधिकृत कृषि को मान्य करने  
के प्रावधान हैं। अतः अपील की अपील  
स्वीकार कर खसरा संख्या 13 में रकबा  
50 बीघा जंगल अड्डाकरण की भूमि को निम्न  
नियमन कमेटी की बैठक में रखा जाने  
का निर्णय कर प्रामाण्य प्राप्त।



राजकीय परिभाषा ने कर्म करते हुए  
निर्दिष्ट किया कि अपील की कृषि कार्य  
की भूमि क्षेत्र में भी इसकी जवाबदारी  
नी जा रही है। अतः अपील की अपील  
पर जवाबदारी देना विधि विरुद्ध है।  
अधीनस्थ जामवाल द्वारा जारी अपील  
निर्णय विधि सम्मत है। जिन पर अपील  
की कमी नहीं है। जिन पर अपील

अधीनस्थ जामवाल की बात धुनते हैं  
पत्रावली का ध्यान रखते हैं। अतः  
के परन्तु जामवाल का निष्कर्ष है कि  
भूमि के निम्न हेतु निम्न कमेटी की  
बैठक रखे जाने का जामवाल द्वारा  
का निर्णय नहीं है। अतः

दिनांक  
राजस्थान अधीनस्थ अधिकारी  
बाड़मेर

तारीख  
हुकम

अपील को जमाना तथा द्वारा किसी  
 प्रकार की शिकायत किना जना संभव  
 नहीं है अतः विवेक एवं तर्कों  
 के मातहत में अपील की अपील  
 खारिज करने योग्य ठहरती है।  
 अतः अपील अपील माहौल में  
 खारिज की जाती है कावही  
 फिलहाल शुभार नम्बर से कर रहे हैं  
 बाद तक अपील दाखिल करवाए।  
 मोहताय से इज्जत सुनाया  
 गया।



दिना  
 26/12/19  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 वाडगेर